पत्रांक–5 / न०वि० / विविध–109 / 2014 4835

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

शशि भूषण मेहरा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।
नगर आयुक्त,
राँची / धनबाद / देवघर / चास एवं आदित्यपुर नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् / नगर पंचायत (मधुपुर, हजारीबाग, आदित्यपुर, राजमहल, चक्रधरपुर, चाईबासा एवं सिमडेगा को छोड़कर)।
विशेष पदाधिकारी।
जमशेदपुर / मानगो अ०क्षे०स० / जुगसलाई नगरपालिका।

राँची, दिनांक– 30/12/15

विषयः–Prohibition of Employment as Munual Scavenger and their Rehabilitation Act. 2013 के आलोक में मैनुअल स्केभेंजर सर्वे प्रतिवेदन एवं उक्त मद में विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–4797 दि०–06.12.2013, पत्रांक–5111 दि०–26.12.2013, पत्रांक–232 दि०–20.01.2014, स्वी० सं०–894 दि०–26.02.2014, पत्रांक–1906 दि०–15.05.2014, पत्रांक–2228 दि०–06.06.2014, पत्रांक–4113 दि०–19.09.2014, पत्रांक–4450 दि०–18.10.2014, पत्रांक–4703 दि०–20.11.2014, पत्रांक–327 दि०–30.01.2015, पत्रांक–3689 दिनांक–19.10.2015 एवं पत्रांक–4294 दिनांक–23.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि शहरी क्षेत्रों में मैनुअल स्केभेंजर का सर्वेक्षण पश्चात् जिला / नगर स्तरीय सर्वेक्षण समिति द्वारा अनुमोदित मैनुअल स्केभेंजर की सूची, सर्वेक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (SF-I, II, III एवं IV) में तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अनेक स्मार पश्चात् आपसे अबतक अप्राप्त है।

आप अवगत हैं कि Prohibition of Employment as Munual Scavenger and their Rehabilitation Act. 2013 दिसम्बर, 2013 से पूरे देश में लागू है।

- अधिनियम की धारा–11 में नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण तथा उनका पुनर्वासन का प्रावधान है।
- धारा–22 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय ओर अजमानतीय होगा।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आपको सर्वप्रथम मैनुअल स्केभेंजर का सर्वेक्षण कर, मैनुअल स्केभेंजर की सूची (यद्यपि शून्य ही क्यों न हो) को जिला / नगर स्तरीय मैनुअल स्केभेंजर सर्वेक्षण समिति से अनुमोदित कराकर विभाग को दिनांक–31.01.2014 तक अन्तिम रूप से समर्पित करने का निदेश दिया गया था, परंतु उनके स्मार पश्चात् अबतक अप्राप्त है।

कतिपय निकायों यथा–जुगसलाई से मैनुअल स्केभेंजर सर्वेक्षण पश्चात् मैनुअल स्केभेंजर की सूची प्राप्त हुई है। किन्तु वह नगर / जिला स्तरीय मैनुअल स्केभेंजर सर्वेक्षण समिति से अनुमोदित नहीं है। फलस्वरूप राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति से उक्त सूची के अनुमोदन का कार्य अवरूद्ध है एवं लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी अबतक सूची का अन्तिम प्रकाशन नहीं हो सका है। यह अत्यंत ही खेदजनक है।

इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धसरकारी पत्रांक–4-2/2012-PREM (SCD) दि०–29.09.2015 सर्वेक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र) एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मांग की गयी है।

विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पुनः स्मार दिया जाता है कि नगर/जिला स्तरीय मैनुअल स्केभेंजर सर्वेक्षण समिति द्वारा अनुमोदित मैनुअल स्केभेंजर की सूची (यद्यपि शून्य ही क्यों न हो), विहित प्रपत्र (SF-I, II, III एवं IV) में प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(शशि भूषण मेहरा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–5/न०वि०/विविध–109/2014 4835 /राँची, दिनांकः– 30/12/15

प्रतिलिपिः–उप महानिदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्रांक–4-2/2012-PREM (SCD) दि०–29.09.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–5/न०वि०/विविध–109/2014 4835 /राँची, दिनांकः– 30/12/15

प्रतिलिपिः–सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

प्रेषण
13/4

320/40

पत्रांक–5 / न०वि० / विविध–109 / 2014......835 (अनु०),

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भवानी प्रसाद लाल दास,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 13/02/16

विषयः–The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, के क्रियान्वयन एवं सूची तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः–नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक–4835, दिनांक–30.12.2015 (प्रति संलग्न)।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–02–04 फरवरी, 2016 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के साथ राँची में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विचार विमर्श किया गया है। आप अवगत है कि ''The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013'' की धारा–18 एवं 19 के अनुसार संबंधित जिलों के उपायुक्तों के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निदेश के आलोक में नगर/जिला स्तरीय मैनुअल स्केभेंजर सर्वेक्षण समिति द्वारा अनुमोदित मैनुअल स्केभेंजर की सूची तथा पूर्व में इस हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी नगर विकास एवं आवास विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा ''The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013'' के प्रावधानों के अनुपालन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

अतः ''The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013'' (छायाप्रति संलग्न) की धारा–18 एवं 19 की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि अधिनियम के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के साथ–साथ अनुमोदित सूची एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग को एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

अनु०–यथोक्त।

13/2/2016

(भवानी प्रसाद लाल दास)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–5 / न०वि० / विविध–109 / 2014......835........ / न0वि0, राँची, दिनांक–....13/02/16

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सभी स्थानीय शहरी निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/2016
सरकार के अपर सचिव।

Manju/E/Sec-5/Letter-500